

प्रेषक,

सुरजन सिंह,  
प्रथम अपर सिविल जज {जू०डि०}  
बांदा।

Request-120

सेवा मे,

उपनिबन्धक महोदय,  
मान्नीय उच्च न्यायालय  
इलाहाबाद।

द्वारा:- मान्नीय जनपद न्यायाधीश,  
बांदा।

विषय:- घोषणा पत्र प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में

महोदय,

उ०प्र० दहेज प्रतिषेध {प्रथम संशोधन} नियमावली, 2004 के नियम-5 एवं शासनादेश संख्या-3670/60-03-04-03 {16 ए०क्यू०}/2000 दिनांकित 30 सितम्बर 2004 तथा मान्नीय उच्च न्यायालय के सर्कुलर पत्र संख्या-31/2005 दिनांकित 19 अक्टूबर 2005 एवं सर्कुलर संख्या-9073/एडमिन {ए०-4} दिनांकित इलाहाबाद, 13 जुलाई 2006 के अनुपालन में, मैं सुरजन सिंह, प्रथम अपर सिविल जज {जू०डि०} बांदा, आशयित घोषणा पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ।

सादर !

दिनांक- 22 जुलाई 2006

भवदीय-

{सुरजन सिंह},

प्रथम अपर सिविल जज {जू०डि०}  
बांदा।

संलग्नक:- घोषणा पत्र

Office of the District Judge, Banda

No...1440/1... Dated 22.7.06

FORWARDED

District Judge  
BANDA

22/7/06

Request-120

घोषणा पत्र-

मै सुरजन सिंह, प्रथम अपर सिविल जज जू0डि0 बांदा, यह घोषणा करता हूँ कि मेरा विवाह दिनांक-14 दिसम्बर 2005 को, सरोज वर्मा सुपुत्री श्री हरिकरन लाल वर्मा, निवासी-100 ए0 लोहार बाग, सीतापुर जनपद सीतापुर, के साथ सम्पन्न हुआ है। मैने इस विवाह में कोई दहेज नहीं लिया है।

दिनांक- 22 जुलाई 2006

*Sujan*  
सुरजन सिंह,  
प्रथम अपर सिविल जज जू0डि0  
बांदा।